न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 201/2022

उनवानी दावा:

निर्णय दिनांक :– 10.10.2023

अमितेश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. गोरधन लाल सैनी पुत्र श्री हरलाल सैनी जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि पत्रावली माननीय न्यायालय आर.ए.ए टोंक से प्राप्त हुआ जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.02.2019 को अपास्त किया गया और निर्देश दिया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में तकासमा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को विधिवत रूप से जरिये नोटिस सूचित किया जावे, तथा सम्बन्धित तहसीलदार स्वयं मय हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक मोके उपस्थित होकर उभयपक्ष तथा अन्य स्वतंत्र गवाहन की मौजूदगी में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 में प्रतिपादित सिद्धान्तो की पालना में अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी (By meets & bounds) तकासमा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस तैयार करवायी जाकर तलब की जावे तथा उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

माननीय न्यायालय के निर्दर्शो की पालना में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2022 किये जाने बाबत पेश किया।

उभयपक्ष से प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी और तहसीलदार दूनी को न्यायालय हाजा की अन्तिम डिक्री दिनांक 06.02.2019 से पूर्व अनुसार स्थिति बहाल करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार दूनी ने अपने पत्रांक भू. अ./2023/538 दिनांक 15.02.23 से अन्तिम डिक्री दिनांक 06.02.2019 से पूर्व अनुसार स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर मंगवाने हेतु सहमति दी।

तहसीलदार दूनी को माननीय न्यायायल आर.ए.ए के निर्देशानुसार पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु क्रमांक राजस्व/कोर्ट/405 दिनांक 27.07.23 से पत्र लिखा गया।

तहसीलदार दूनी से पत्रांक भू. अ./2023/3384 दिनांक 21.09.2023 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली है।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने बहस से पूर्व ख. नं. 1195 गै. मु. चाह को शामलाती में रखने बाबत पेश किया। जिस पर अधिवक्ता वादी ने नो ऑब्जेक्शन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति प्रकट नही की और अपनी सहमति प्रदान की और कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया परन्तु कथन किया तहसीलदार दूनी द्वारा ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह को अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में छोड़ दिया जबकि वाद व प्राथमिक डिक्री में ख. नं. 1195 के लिए भी विभाजन प्रस्ताव था। ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अतः इस ख. नं. को शामलात में रख मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21.09.2023 व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह को कुर्रेजात रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है। जबकि अधिवक्ता उभयपक्ष का कथन है कि ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह को शामलात रख दिया जावे तो हमें कोई आपति नहीं है। तहसीलदार दनूी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है परन्तु ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह को कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्शित नहीं करने पर, अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से इस ख. नं. को निर्णय व अन्तिम डिक्री में शामिल किया जाना न्यायोचित है।

जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवड़ावास के हाल खाता संख्या 482 में दर्ज खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.36 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 है0 व खाता संख्या 81 ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह को को शामिल करते हुए तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिकी पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	अमितेश पुत्र रामनारायण जाति भारद्धाज सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1196	0.18	–
	योग	किता–1	0.18	–
2	गोरधन पुत्र हरलाल सेनी जाति माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	1196	0.18	–
	योग	किता–1	0.18	–
3	नोटः– ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह उक्त दोनो खातेदारों के शामलात में रहेगा।			

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.10.2023 को सुनाया गया।

10/10/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
देवली व अलजाम दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....मुकाम
उनवानी दावाः

अमितेश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

—वादी—

बनाम

1. गोरधन लाल सैनी पुत्र श्री हरलाल सैनी जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 201 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2074—77 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवड़ावास के हाल खाता संख्या 482 में दर्ज खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.18 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 है0 व खाता संख्या 81 ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु.. चाह को को शामिल करते हुए तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	अमितेश पुत्र रामनारायण जाति भारद्धाज सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1196	0.18	–
	योग	किता–1	0.18	–
2	गोरधन पुत्र हरलाल सेनी जाति माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	1196	0.18	–
	योग	किता–1	0.18	–
3	नोटः– ख. नं. 1195 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह उक्त दोनो खातेदारों के शामलात में रहेगा।			

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....
................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 10 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....10/10/23..........

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)..........

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।